न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– प्रियंका जोधावत, आर॰ए॰एस॰

प्रकरण संख्या 13/2016 (उदयपुर डिक्री)

क्षेत्रीय वन अधिकारी, सराडा, वन मण्डल, उदयपुर (राज.)

..... अपीलान्ट

बनाम

1. श्रीमती रक्षा गोरवाडा पत्नी श्री संजीव गोरवाडा, निवासी–4–डी, न्यू फतहपुरा, होटल फाउनटेन के सामने, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
2. सरकार जरिये तहसीलदार गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

.....रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान
काश्त0 अधि0–1955 विरूद्ध निर्णय
एवं डिक्री उपखण्ड अधिकारी गिर्वा
दिनांक 30.11.2015 प्र.सं. 164/13

———/———

उपस्थित(वक्तबहस) 1. श्री संजय सेन अभिभाषक अपीलान्ट
2. श्री पंकज भटनागर राजकीय अभिभाषक

———:::———

निर्णय **दिनांक 22–10–2019**

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल अपीलान्ट द्वारा रेस्पोन्डेन्टगण के विरूद्ध एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा डाकनकोटडा की साबिक आराजी नंबर 1332/13 मी. जिसके हाल आराजी नंबर 2837 जो विभाजित होकर 4003/2837 रकबा 0.2200 हैक्टर बना है। उक्त भूमि राजस्थान सरकार द्वरा निांक 19–01–1961 गजट नोटिफिकेशन जारी कर वन भूमि घोषित कर दिया, तब से वादग्रस्त भूमि पर वन विभाग का कब्जा होकर चारो ओर बाउण्ड्रीवाल बनी हुई है तथा वन विभाग द्वारा वृक्षारोपण किया गया है, जिसे कानूनन किसी अन्य व्यक्ति को आवंटित नहीं किया जा सकता, किन्तु राजस्व अधिकारियों द्वारा बिना अधिकार के उक्त भूमि प्रतिवादी संख्या 1 को आवंटित कर दी गयी है, जो वादी के मुकाबले

बेअसर व शून्य है। अतः वाद वर्णित भूमि का वादी को खातेदार घोषित किया जाकर स्थायी निषेधाज्ञा दिलायी जावे।

प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा जवाब का अवसर दिये जाने के बावजूद जवाब प्रस्तुत नहीं किये जाने से उनके जवाब का अवसर बन्द किया गया तथा प्रतिवादी संख्या 1 का जवाब प्रस्तुत नहीं होने से प्रकरण में तनकियात कायम नहीं की गयी।

अधिनस्थ न्यायालय ने उभयपक्षों को सुनने के बाद अपने निर्णय दिनांक 30–11–2015 से वादी का वाद खारिज कर दिया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/वादी द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 29–01–2016 को प्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को तलब किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 राज्य सरकार की ओर से राजकीय अभिभाषक श्री पंकज भटनागर उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराया तथा प्रमुख रूप से यह उजर लिया कि अधिनस्थ न्यायालय में प्रतिवादी द्वारा जवाब प्रस्तुत नहीं करने एवं वादी की साक्ष्य का खण्डन नहीं होने के बावजूद अधिनस्थ न्यायालय ने वाद खारिज कर दिया, जबकि आरक्षित वन भूमि भारत सरकार की अनुशंषा के बिना राज्य सरकार या किसी भी राजपत्रित अधिकारी द्वारा किसी भी व्यक्ति को आवंटित या नियमन नहीं की जा सकती, किन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया है। अतः अपील स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री अपास्त की जाकर अपीलान्ट/वादी का वाद डिक्री किया जावे।

विद्वान राजकीय अभिभाषक ने प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर करने हेतु निवेदन किया।

हमने अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली व रेकार्ड का अवलोकन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया तो यह पाया कि अधिनस्थ न्यायालय ने स्वयं अपने निर्णय के अंतिम पेज के प्रथम पैरा में यह अंकित किया है कि ''दस्तावेजों एवं साक्ष्यों अनुसार वादग्रस्त भूमि के

सन्दर्भ में वन विभाग द्वारा दिनांक 16–01–1961 को राजस्थान राजपत्र में राजस्व विभाग द्वारा आरक्षित वन गठन करने की अंतिम विज्ञप्ति जारी की गयी थी एवं वादग्रस्त भूमि आरक्षित वन भूमि होकर प्रतिबंधित भूमि है।'' अधिनस्थ न्यायालय ने उपरोक्त विवेचन के बावजूद भी वादी/अपीलान्ट का वाद मात्र इस आधार पर खारिज कर दिया कि प्रतिवादी को आवंटन सेटलमेन्ट से पूर्व किया हुआ होकर वर्तमान में वह रेकार्डेड खातेदार है। अधिनस्थ न्यायालय का उपरोक्त विवेचन प्राकृतिक न्याय के विपरीत होकर अपास्त योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 30–11–2015 अपास्त की जाती है तथा पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित की जाती है कि प्रकरण में पुनः साक्ष्यों का विधिवत विवेचन कर निर्णय पारित करें। पक्षकारान अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 20–12–2019 को उपस्थित रहें।

पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटायी जावे। निर्णय आज दिनांक 22–10–2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रियंका जोधावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत.....**भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.**.....मुकाम.....**उदयपुर**.....
व इजलास ..... **प्रियंका जोधावत, आर.ए.एस.** .....

मनोहरलाल पिता सरदारमल जी तलेसरा, नि0 नाई, हाल विनायक नगर, पानेरियों की मादड़ी उदयपुर बनाम **राजस्थान राज्य जरिये जिला उदयपुर व अन्य**

अपील नं.....**7 / 2013**.....व नाराजगी डिगरी अदालत .....**उपखण्ड अधिकारी**.....
.....**गिर्वा**..... मुकाम.....मुवर्खे.....**31**.....माह.....**10**.....**2012**

दावा बाबत

यह अपील व तारीख.....**25**....माह.....**09**.....सन् **2019** रूबरू.....**पक्षकारान** व हाजरी...**हीरालाल कटारिया**...मिनजानिब अपीलान्ट व.....**नरपतसिंह चुण्डावत/पंकज भटनागर**

.....रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि..... **अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 31–10–2012 यथावत रखी जाती है।**

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....**X**.....).....रूपये .... **X**..... अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का..... **X** .....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.....**25**.....माह.....**09**.....**2019** को जारी किया गया।

(प्रियंका जोधावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील ... . 2. स्टाम्प वकालत नामा ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. वकील फीस बाबत ..... मीजान			1. स्टाम्प वकालत नामा... 2. स्टाम्प अर्जी ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. मेहनताना वकील..... मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।